न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 152/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/201

1. ग्राम संरपच एवं प्रशासक पंचायत समिति ग्राम पंचायत धानसिया, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र चाणनमल(राम) जाति ब्राहमण साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. महावीर पुत्र दुनीराम जाति वर्मा, (कुम्हार) साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ साकिन हनुमानगढ़।
2. सहायक वन सरंक्षक हनुमानगढ़ साकिन हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक एवं संगीता गहलोत — अभिभाषक अपीलांट

राजकीय अभिभाषक एवं वन विभाग की और से सहायक वन सरंक्षक नोहर(हनुमानगढ़) — रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3

निर्णय

दिनांक 09.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.03.1979 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम भावलदेसर के खसरा नंबर 159, 160/2, 361, 244, 86, 124, व 91 एवं अन्य खसरा नंबर में वर्षो से अपीलांट्स एवं उनके पूर्वज तथा ग्रामवासियों के मकान बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 15.03.1979 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 द्वारा उक्त वादगत भूमि को वन विभाग व गोचर भूमि बाबत् रूपांतरण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 15.03.1979 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भावलदेसर के खसरा नंबर 159, 160/2, 361, 244, 86, 124, व 91 एवं अन्य खसरा नंबर में वर्षो से अपीलांट्स एवं उनके पूर्वज तथा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ग्राम वासियों के मकान बने हुए है तथा बिजली का कलेक्शन एवं राशन कार्ड इसी गांव व इसी भूमि पर बने हुए हैं। अपीलाधीन आदेश कतई स्पीकिग नही हैं क्योकि आदेश में किसी भी ग्राम का जिक्र नही है। किसी भी खसरा नंबर का जिक्र नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तरह के सार्वजनिक प्रकरण में ग्राम पंचायत को भी नही सुना गया तथा किसी भी ग्रामवासियों को नोटिस नही दिया गया जबकि रूपान्तरण करने के प्रकरण में सुनवाई के समय ग्राम सरपंच को सुना जाना आवश्यक था। सन 1979 से लेकर आज तक अपीलाधीन आदेश जिसके द्वारा आबादी भूमि को रूपान्तरण किया गया ना ही कभी अपीलाधीन आदेश की पालना हुई तथा आठ वर्ष पश्चात इकतरफा तौर पर संशोधित आदेश पारित किया जाता है जो अपने आप में सर्वथा अवैध है। भूमि के रूपान्तरण के बावत् किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नही किया गया। अपीलाधीन आदेश की प्रक्रिया में किसी भी व्यथित पक्षकार को तथा संबन्धित पक्षकार को नोटिस नही दिया गया था, ऐसा आदेश निर्णय की परिभाषा में नही आता है। सहायक वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा आदेश की कोई पालना भी नही की गई थी तथा सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ द्वारा पहली बार सन 2025 में धारा 91 के नोटिस दिये गये और कहा गया कि जहां पर आपके मकान बने हुए है वह भूमि वन विभाग की है। मकान खाली करो, नही तो तुडवा दिये जायेगें, इससे पूर्व कभी भी ग्राम वासियों को व सरपंच को अपीलाधीन आदेशों की कोई जानकारी नही थी। वन सरंक्षक को धारा 91 का नोटिस देने का अधिकारी नही था। धारा 91 को नोटिस देने का अधिकारी तहसीलदार को होता हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने दिनांक 08.07.2025 को स्थगन आदेश ग्रामवासियों के पक्ष में पारित किया तथा आदेश पारित किया कि दिनांक 31.08.2025 तक ग्रामवासियों को बेदखल नहीं किया जावें, तथा ग्राम वासियों व अपीलांट्स को निर्देश दिया कि प्रकरण लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का है इसलिए सक्षम न्यायालय में अपील पेश करे। ग्राम वासियों के साथ अन्याय हो रहा है कभी भूमि रिकॉर्ड में जोहड पायतन बता रहे है, कभी ओरण की भूमि बता रहे है तथा अब वन विभाग व गोचर की भूमि बता रहे है। मनमाने से आदेश पारित कर रहे है। ग्रामवासी जो वर्षो से मौके पर आबाद है उनके हको पर कुठाराघात किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्री गंगानगर दिनांक 15.03.1979 व संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 निरस्त फरमावें या अन्य दादरसी मुफीद अपीलांट्स को प्रदान की जावें।

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस एवं सहायक वन सरंक्षक नोहर(हनुमानगढ़) ने जवाब अपील में कथन किया है कि ग्राम ग्राम भावलदेसर के खसरा नंबर 159, 160/2, 361, 244, 86, 124, व 91 वर्तमान में वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उक्त पर वन विभाग का आधिपत्य है। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार एवं विधिनुसार जारी किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में ग्राम भावलदेसर की उक्त कृषि भूमि वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वन विभाग द्वारा धारा 91 के तहत नोटिस जारी किए गए है उक्त नोटिस विभाग द्वारा विधिनुसार जारी किए गए हैं। वन विभाग को धारा 91 का नोटिस देने के लिए सक्षम हैं। वन विभाग को राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 6(14)राज–6/95/74 दिनांक 31.08.2021 के तहत तहसीलदार की शक्ति

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रदान की गई इसलिए उक्त नोटिस धारा 91 का दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक स्थगन आदेश पारित करना स्वीकार है। किन्तु ग्रामवासियों व अपीलांट ने वन विभाग द्वारा अवैध कब्जा कर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए आवेदन पेश किया है। अपीलांट माननीय न्यायालय हाजा में स्वच्छ हाथों से नही आये है। ग्रामवासियों के साथ किसी प्रकार से अन्याय नही हो रहा हैं क्योंकि वे खुद वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर वन विभाग की अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वन विभाग वादगत भूमि पर किसी व्यक्ति या सरपंच आदि को कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है और वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसार राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण तब तक वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए उपयोग में नही ला सकते जब तक भारत सरका से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ले। इसके अलावा गोधवर्मन केस के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के प्रतिपादित किया गया है कि वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 की अनुमति के बिना कोई भी गैर–वानिकी कार्य नही किया जा सकता, चाहे भूमि का स्वामित्व किसी का भी हो। अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान में परित निर्णय दिनांक 02.08.2004 प्रतिपादित किया गया है वन विभाग को वन भूमि किए गये अवैध अतिक्रमण, कब्जा वगैरह को हटाने का अधिकार दिया गया हैं। ग्राम भावलदेसर, पटवार हल्का धानिसया, भू.अ,नि,क्षे पाडुसर, तहसील नोहर के नया खाता संख्या 361 पुराना खाता संख्या 321 के अनुसार खसरा नंबर 124, 159, 160/2, 224, 243, 244, 258, 261, 293, 361, 380, 40, 41, 66, 86, 90, 91, 92 में कुल 85.8662 हैक्टयर भूमि वन विभाग मरूस्थल वनरारोपण चारागाह विकास हेतु आरक्षित भूमि वर्तमान जमाबंदी अंतिम चौसला आधार सम्वत 2070–2076, जमाबंदी 2076 से स्थाई दर्ज है। ग्राम भावलदेसर की उक्त वादगत भूमि का मालिक वन विभाग है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलाधीन आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.031979 स्पीकिंग आदेश नहीं है क्योकि अपीलाधीन आदेश में किसी भी ग्राम एवं खसरे का जिक्र नही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.1979 के संशोधन में जो संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 जारी किया गया वह भी अधूरा है, उसमें भी ग्राम एवं खसरे का उल्लेख नही है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व ग्रामवासियों का सुनवाई का कोई मौका भी नही दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उक्त वादगत भूमि पर अपीलांट्स एवं ग्रामवासियों के पक्के मकान बने हुए है तथा बिजली का कनेक्शन व राशनकार्ड बने हुए है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतः उक्त प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 08.07.2025 के परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) की जाती है कि उक्त प्रकरण में ग्राम भावलदेसर की आबादी भूमि का मौके पर सर्वे/पैमाइश करवाई जावे तथा जितनी आबादी भूमि है उसे विधिवत तरीके से वन विभाग को अन्य भूमि स्थान्तरित करने हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करे। इसके पश्चात आबादी के पक्ष में उक्त भूमि को नियमानुसार हस्तांतरण करे।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर